

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :-

प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 411/2016 श्री लक्ष्मी प्रसाद पाण्डे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य।

पं.कं. 500/2016/58, दिनांक 29.02.2016
संचालक उद्यानिकी से प्राप्त एकल नस्ती कं. 1287,
दिनांक 25.02.2016.

संचालक उद्यानिकी ने विषयांकित प्रकरण जो वादी द्वारा मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर में वेतनवृद्धि हेतु दायर किया है, की याचिका की प्रति सहपत्रों सहित उपलब्ध कराकर प्रकरण में शासन पक्ष समर्थन करने हेतु सहायक संचालक उद्यान, जिला रायसेन को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित किया है।

प्रस्ताव पर दिये निर्देशानुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश स्वच्छ प्रतियों में हस्ता0 प्रस्तुत है।

अ0अ0

02/3/16.

अ0अ0

500

552, 553

जावक क. 58/संसाध

दिनांक 2/3/16

विषयांकित प्रकरण में विभागीय आदेश दि० 02/3/2016 द्वारा प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।
अतः प्रसरण आदेश प्राप्त करने हेतु नस्ती विधि विभाग को अंकित करने हेतु प्रस्तुत है।

02/03/16.

अ0अ0

अ0अ0

D.S.(H)

विधि विभाग

2-3-16

02-03-16

0/5/16

032-33/16

03-03-16

5-3-16

07/3/16

मगदली खिलखो
उप सचिव
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :

विषय:-

प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 411/2016 श्री लक्ष्मी
प्रसाद पाण्डे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य।

का विभाग

मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय भोपाल

32

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 2/03/2016.


क्रमांक एफ 8-5/2016/58 : : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 अधिनियम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.-411/2016 श्री लक्ष्मी प्रसाद पाण्डे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर में सहायक संचालक उद्यान, जिला रायसेन को प्रभारी अधिकारी के रूप में अधिवक्तों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि, मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तर दायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नांकित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करेगा, जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर किसी विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट की जावेगी।
2. समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज नियम अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वारपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये जिससे कि, शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज/पत्र भेजेगा :-
 - (अ) वाद पत्र की प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट,
 - (ब) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप,
 - (स) उन सभी दस्तावेजों की सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (द) मामले में विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज/पत्रों की प्रतियां, इसमें वाद की तारीख भी वर्णित होना चाहिए।
6. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना मामले और उसके क्रम और प्रगति में नियम किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सदैव अवगत रखना।
7. जब कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है, विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा।
8. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजे।

.....2/-

9. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
10. जैसे ही अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देना होगा। यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जावे।
11. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहायता देगा या इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि, कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज/दुबी हुई नहीं रह जाये।
12. प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चित होता है तो परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ की जाये।
13. प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि, उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश या पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई। अतएव वह आदेश की प्रति जैसे ही पारित की जाये, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रेशासकीय) विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनुप कुमार मुण्डा)
अवर सचिव


मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

भोपाल, दिनांक 2/03/2016.

क्रमांक एफ 8-5/2016/58,
प्रतिलिपि :-

1. महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, म.प्र.भोपाल की ओर उनके एकल नस्ती क्रमांक 1287, दि. 25.02.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक संचालक(प्रभारी अधिकारी) उद्यान, जिला-रायसेन मध्यप्रदेश की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने एवं मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव भेजी जानी चाहिए। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये।
5. शासकीय अधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. पर्सनल नस्ती।


अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

F.8-5/2016/58.

500
29/2/16

संचालनालय उद्यानिकी

एकल नस्ती क्रमांक/अ-1-अ/को.के./2015-16/

विषय:- प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी. 411/2016 द्वारा श्री लक्ष्मी प्रसाद पाण्डे, विरुद्ध
म० प्र० शासन व अन्य में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति बाबत।

प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी. 411/2016 द्वारा श्री लक्ष्मी प्रसाद पाण्डे, विरुद्ध
म० प्र० शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में वेतन वृद्धि के संबंध में
प्रकरण दायर किया गया है।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु सहायक संचालक
उद्यान जिला रायसेन को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्ताव प्रस्तावित है।

(एम.एस.धाकड़)

संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

प्रमुख सचिव,
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

010 निम्नलिखित में/

VS (P)

500

26/2/16

26-2-16

26-2-16

N.N.D.N. 1287
Date- 25/02/2016

क्रमांक 25/1/16/प्र.वि.स. एवं ख.वि.स.
दिनांक 25/02/16

2
Sainyaji

2

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT
JABALPUR

Process Id: 9954/2016

WP/411/2016

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur

For Admission and I.R.

Fixed for 08-03-2016

WP-DA-21

Respondent No. 3

To,

Director Uddhyaniki Avam Vaniki,
Distt. Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 22-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 3 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 411/ 2016

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Laxmi Prasad Pandeyy** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/411/2016

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **08-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.



31-1-16
Lg
16/2/16

Your faithfully

62

DEPUTY REGISTRAR